<u>न्यायालय :—नवम् अति0मो0दु0दावा अधिकरण ग्वालियर (म0प्र0)</u>
<u>(नेशनल लोक अदालत खण्ड़पीठ क्रमांक—08)</u>

प्रकरण क्रमांकः—1647/2022 एम.ए.सी.सी.

रमेश चन्द्र पुत्र श्री श्रीपाल जाटव, आयु—51 वर्ष, व्यवसाय—नौकरी, निवासी—नदीपार टाल बडवारी वाला मोहल्ला कबीर आश्रम के पीछे थाटीपुर जिला ग्वालियर म.प्र.

.... **आवेदक**

विरूद्ध

1—जोगेन्द्र सिंह जाटव पुत्र श्री हरनारायण जाटव, निवासी—शंकर कॉलौनी गोल पहाडिया, जिला ग्वलियर (वाहन चालक एवं स्वामी कार क्रमांक एम.पी. 07 सी.जे. 3402)

2—दि न्यू न्इंडिया एंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा डिवीजनल मैनेजर मण्डल कार्यालय जी.डी.ए. के पास रवि नगर जिला ग्वालियर म.प्र.
(बीमा कंपनी कार क्रमांक एम.पी. 07 सी.जे. 3402)

.... **अनावेदकगण**

<u>अवार्ड</u>

<u>(आज दिनांक 11.05.2024 को पारित किया गया)</u>

1. यह क्लेम प्रकरण मोटरयान दुर्घटना अधिनियम की धारा 1988 के अन्तर्गत प्रश्नगत दुर्घटना के संबंध में **आहत/आवेदक रमेश चन्द्र** की ओर से क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत किया गया है।
2. आवेदक एवं अनावेदक क्र—02 बीमा कंपनी के मध्य नेशनल लोक अदालत के माध्यम से समझौता हो जाने व उक्त समझौता सक्षम व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत व हस्ताक्षरित होने से विधि अनुसार होने से उक्त समझौता स्वीकार किया जाकर प्रकरण में निम्नानुसार अवार्ड दिया जाता है :—

   (ए) अनावेदक क्रमांक—02, बीमा कंपनी, दि न्यू इंडिया एंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड़ **1,40,000/— (एक लाख चालीस हजार) रूपये** की क्षतिपूर्ति राशि आवेदक को निम्नानुसार अदा करें, जिसमें वाद व्यय एवं अभिभाषक शुल्क भी सम्मिलित है।

   (बी) अनावेदक क्रमांक—02, बीमा कंपनी अवार्ड की राशि आज दिनांक से 02

माह की अवधि में न्यायालय में जमा करावेंगे अन्यथा क्षतिपूर्ति राशि पर आज दिनांक से अदायगी दिनांक तक 06 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा।

(सी) पूर्व मे यदि किसी राशि का भुगतान किया गया है तो वह राशि इस राशि में समायोजित होगी।

(डी) शेष अनावेदकगण के विरूद्ध आवेदक कोई सहायता नहीं चाहता हैं। अतः उनके विरूद्ध प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

(ई) उभयपक्ष की सहमति के अनुसार व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

(एफ) अवार्ड की राशि का वितरण निम्नानुसार दिये गये निर्देशों के अधीन किया जावेगा :–

आवेदक का नाम	**देय राशि**	**अन्य निर्देश**
रमेश चन्द्र पुत्र श्रीपाल जाटव	1,40,000/– (एक लाख चालीस हजार) रूपये	उक्त राशि 1,40,000/– (एक लाख चालीस हजार) रूपये आवेदक को बचत खाते के माध्यम से नगद प्रदान की जाये।

{श्रीमती पुष्पा बोहरे}
सदस्य
नेशनल लोक अदालत,
पीठ क्रमांक–08, ग्वालियर

{श्रीमती शाकिरा खान}
सदस्य
नेशनल लोक अदालत,
पीठ क्रमांक–08, ग्वालियर

{ए.पी.एस. चौहान}
पीठासीन अधिकारी,
नेशनल लोक अदालत,
पीठ क्रमांक–08 ग्वालियर

ARVIND PRATAPSINGH CHAUHAN

Digitally signed by ARVIND PRATAPSINGH CHAUHAN
Date: 2024.05.11 16:11:28 +0530